

समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दिनांक 28.03.2016 को जिला स्तरीय पदाधिकारियों की आयोजित साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय।

क्र	लिए गए निर्णय का सारांश	सम्बद्ध पदाधिकारी
1.	<p>माननीय उच्च न्यायालय में दायर अवमाननावादों की प्रस्तुत सूची के अनुसार कुल 7 मामले हैं, जिनमें 5 मामलों में जबाब भेजा जाना है, इसे सुनिश्चित की जाय।</p> <p>एम0जे0सी0 हरदेव यादव बनाम राज्य के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा द्वारा बताया गया कि इस संबंध में जॉच प्रतिवेदन स्वास्थ्य विभाग को भेजा जा चुका है एवं विभाग के स्तर से ही इस मामले में कारण पृच्छा दाखिल किया जाना है।</p> <p>एम0जे0सी0 चौधरी नरेशचन्द्र राय बनाम राज्य, जो भू अतिक्रमण के विरुद्ध है। अंचलाधिकारी बेनीपुर के स्तर से शीघ्र अतिक्रमण हटाने हेतु कार्रवाई की जाय। अद्यतन स्थिति के अनुसार तथ्य विवरणी संशोधन हेतु वापस किया गया है।</p> <p>सी0डब्लू0जे0सी0 के अन्तर्गत आनन्द कुमार चौधरी बनाम राज्य एवं दिलीप गरई बनाम राज्य, जो भू-अर्जन से संबंधित है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई करते हुए शीघ्र कारण पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया।</p> <p>एम0जे0सी0 मनहर गोपाल बनाम राज्य, अतिक्रमण मामला से संबंधित है, जो समाहर्ता न्यायालय में निष्पादन प्रक्रिया के अन्तर्गत बतायी गयी।</p> <p>एम0जे0सी0 राम प्रसाद झा रमण बनाम राज्य का मामला, जिला स्थापना शाखा से संबंधित है। स्थापना उप-समाहर्ता को अग्रेतर कार्रवाई करते हुए शीघ्र कारण पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया।</p> <p>एम0जे0सी0 बलभेन्द्र मिश्रा बनाम राज्य का मामला अंचल अधिकारी, घनश्यामपुर से संबंधित है, जो भूमि विवाद का है। अपर समाहर्ता इस संबंध में अंचल अधिकारी, घनश्यामपुर से समन्वय करते हुए शीघ्र कारण पृच्छा दाखिल करवाना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>पृच्छा पर प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 के कुल 150 मामले बताये गये। इनमें 20 मामलों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना है। निदेशित किया गया कि इनमें प्रक्रियात्मक कार्रवाई करते हुए शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जायं।</p>	<p>प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा एवं संबंधित पदाधिकारीगण</p>
2.	<p>डी0एम0सी0एच0 में डी-एडिक्शन सेन्टर की स्थापना की जानी है। इस संबंध में अधीक्षक डी0एम0सी0एच0 द्वारा बताया गया कि सेन्टर की स्थापना हेतु सभी तैयारी पूरी कर ली गई है एवं उपकरणों के कय हेतु आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। उन्हें दिनांक 01.04.2016 से उक्त केन्द्र का संचालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अधीक्षक, डी0एम0सी0एच0</p>
3.	<p>ई-किसान भवन, घनश्यामपुर के संबंध में बताया गया कि 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्यों को दो दिनों के अन्दर पूर्ण करते हुए भवन को विभाग को हस्तान्तरित करने का निदेश दिया गया।</p> <p>ई-किसान भवन, मनीगाछी बन कर तैयार है लेकिन अभी तक इसका संचालन प्रारम्भ नहीं हुआ है। गत बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया था कि इस भवन में कुछ कार्य कराये जाने शेष हैं। उन्हें लंबित कार्यों की सूची समर्पित करने का निदेश दिया गया था, जो अद्यतन अप्राप्त है। वे अगली बैठक से पूर्व लंबित कार्यों की सूची उपलब्ध करावेंगे।</p> <p>कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा-1 द्वारा कार्यान्वित कराई जा रही डी0एम0सी0एच0 शिशु विभाग में भवन निर्माण की योजना को दिनांक 10.04.2016 तक पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कराने तथा टेनिस कोर्ट निर्माण योजना की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया।</p>	<p>कार्यपालक अभियंता, स्था0 क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा-1/जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा।</p>
4.	<p>डी0एम0सी0एच0 शिशु वार्ड के निकट कचरा फेंकने वालों को एक सप्ताह के अन्दर वहां से कचरा का उठाव करवाने तथा पुनः वहां कचरा न फेंकने का निदेश दिया गया है। अधीक्षक, डी0एम0सी0एच0 को इसे सुनिश्चित करवाने तथा पुनः कचरा फेंकने वालों पर अविलम्ब कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अधीक्षक, डी0एम0सी0एच0</p>

5.	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा-1 एवं बेनीपुर-2 द्वारा कब्रिस्तान घेराबन्दी मद में प्राप्त राशि का व्यय कर लिया गया है। उन्हें प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेजने तथा अवशेष राशि की मांग विभाग से करने का निदेश दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा-1 एवं बेनीपुर-2
6.	वरीय कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा बताया गया कि विभिन्न विभागों को पूर्व में मिले आवंटन की निकासी हेतु आज तक हीं विपत्र प्राप्त किए जाने का निदेश प्राप्त है। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि पूर्व में प्राप्त सभी आवंटनों की नियमानुसार निकासी हेतु आज संध्या तक अनिवार्य रूप से विपत्र तैयार कर कोषागार में समर्पित कर दें।	सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
7.	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, दरभंगा को वर्ष 2015-16 में रख-रखाव मद में प्राप्त राशि एवं इससे ली गई योजना तथा योजना की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन तैयार कर समर्पित करने का निदेश दिया गया। वरीय कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को कार्यपालक अभियंता द्वारा उक्त मद से निकासी की गई राशि की विवरणी तैयार कर समर्पित करने का निदेश दिया गया। भवन निर्माण विभाग की अन्य योजनाएँ, जो विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वयन हेतु उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं, की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, दरभंगा को दिया गया। कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा स्टेडियम का निर्माण कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग से कराये जाने का निदेश दिया गया है। परन्तु कार्यपालक अभियंता द्वारा इस मद में उपलब्ध कराई गई राशि एवं योजना को वापस लौटा दिया गया है, जो अनुचित है। कार्यपालक अभियंता को भविष्य के लिए सतर्क किया गया एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा को स्टेडियम निर्माण की योजना एवं राशि को पुनः कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा।
8.	गत जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में दिए गए निदेशों का अनुपालन करने तथा इस सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। अगली साप्ताहिक बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की जायगी।	संबंधित पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा
9.	जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की गत बैठक में शिकायत प्राप्त हुई थी कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत निर्माण कराए गए पी0सी0सी0 सड़कों के फ्लैक का निर्माण नहीं कराया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग के सभी कार्यपालक अभियंताओं को उक्त शिकायत अविलम्ब दूर का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।	ग्रामीण कार्य विभाग के सभी कार्यपालक अभियंता
10.	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की निविदा शीघ्र करवाने, यदि निविदा हो गई है तो शीघ्र एकरारनामा करवाने तथा एकरारनामा नहीं करने वाले संवेदकों को काली सूची में दर्ज करने हेतु कार्रवाई करने एवं उनके जमानत की राशि को जप्त करने का निदेश ग्रामीण कार्य विभाग के सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि जिन योजनाओं में वैधानिक अरचन नहीं है उन पर तेजी से कार्य करावें एवं जिला के अन्य विभागों द्वारा कार्यान्वयन हेतु दी गई योजनाओं को भी शीघ्रता से पूरा करावें।	ग्रामीण कार्य विभाग के सभी कार्यपालक अभियंता
11.	स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिले के विभिन्न संस्थानों में शौचालय निर्माण के लिए संबंधित संस्थानों के प्रधान से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्हें इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। जिला स्तरीय सभी कार्यालय प्रधान से अपने कार्यालय को साफ रखने, कार्यालय में उपलब्ध शौचालयों की मरम्मत करवा कर उसका उपयोग करने या यदि शौचालय उपलब्ध नहीं है तो अविलम्ब उसका निर्माण करवाने का निदेश दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पंचायतों के अतिरिक्त छोटे स्तर पर गाँव/वार्ड को भी स्वच्छ बनाने का निदेश है। परन्तु इस जिला में अभी तक मात्र 2 हीं गाँव सम्पूर्ण स्वच्छता की श्रेणी में आएँ हैं। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल को कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल/जिला स्तरीय सभी कार्यालय प्रधान

12.	<p>आगामी गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए पेयजलापूर्ति के लिए कार्य योजना तैयार कर समर्पित करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल को दिया गया था, परन्तु अभी तक उक्त कार्य योजना समर्पित नहीं किया गया है। उन्हें इस सप्ताह में कार्य योजना समर्पित करने का निदेश दिया गया।</p> <p>गत वर्ष की तुलना में वर्तमान में जल स्तर की क्या स्थिति है, इसका साप्ताहिक प्रतिवेदन तैयार कर समर्पित करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल को दिया गया। उन्हें चापाकल की लंबित सभी योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करवाने का भी निदेश दिया गया।</p>	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल
13.	<p>सभी कार्यालय प्रधान को निदेशित किया गया कि यदि उन्हें विद्युत मद में राशि प्राप्त है तो अविलम्ब उसकी निकासी कर लंबित विद्युत विपत्रों का भुगतान सुनिश्चित करें।</p> <p>प्रखण्ड कार्यालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में 3 फेज विद्युत कनेक्शन नहीं होने के कारण वहां अनावश्यक रूप से जेनरेटर चलवाना पड़ता है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दरभंगा इन कार्यालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में अविलम्ब 3 फेज विद्युत कनेक्शन लगवाना सुनिश्चित करें।</p> <p>विद्युत विभाग द्वारा 100 रुपये प्रति बल्ब की दर से LED बल्ब का वितरण किया जा रहा है। एक विद्युत कनेक्शन पर अधिकतम 10 LED बल्ब दिए जायेंगे। आगामी बुधवार को समाहरणालय सभा कक्ष में LED बल्ब का वितरण किया जायगा। सभी कार्यालय प्रधान को निदेशित किया गया कि वे भुगतान किए गए अद्यतन विद्युत विपत्र की प्रति के साथ LED बल्ब क्य कर अपने कार्यालय में LED बल्ब लगवाना सुनिश्चित करें ताकि विद्युत की बचत हो सके।</p>	सभी कार्यालय प्रधान/ कार्यपालक अभियंता, शहरी /ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दरभंगा।
14.	<p>निर्माणाधीन दरभंगा बाईपास सड़क की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा द्वारा बताया गया कि सड़क निर्माण में अभी भी जमीन की समस्या है एवं बालू उपलब्ध नहीं करने के कारण भी कार्य बाधित हो रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा से समन्वय कर इस योजना में जमीन की समस्या को दूर करावें। अनुमण्डल पदाधिकारी को इसके लिए पूर्व में ही निदेशित किया जा चुका है। कार्यपालक अभियंता को विभागीय अन्य योजनाओं के कार्यों में भी तेजी लाने का निदेश दिया गया।</p>	कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा
15.	<p>खोज किए जाने पर कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा बैठक में अनुपस्थित पाए गए। उनके आज का वेतन स्थगित करने का निदेश दिया गया।</p>	विशेष कार्य पदाधिकारी
16.	<p>कालाजार कार्यक्रम एवं ऑपरेशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम को अच्छी तरह से पूरी तेजी के साथ संचालित करने का निदेश सिविल सर्जन/जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को दिया गया। उन्हें कुष्ठ एवं एड्स पीड़ित मरीजों की सूची भी अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि ऐसे मरीजों को परवरिश योजना का लाभ दिलाया जा सके।</p>	सिविल सर्जन/जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी
17.	<p>जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा को ओवर लोडिंग करने वाले तथा परमिट के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का परमिट रद्द करवाने की कार्रवाई करने एवं इस संबंध में कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।</p> <p>दिल्ली मोड़, हराही पोखरा के किनारे, म्यूजियम के सामने, दोनार से पूरब मुख्य सड़क के किनारे अवैध रूप से वाहनों का पार्किंग किया जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी को ऐसे वाहनों की जाँच कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।</p>	जिला परिवहन पदाधिकारी
18.	<p>जिन किसानों द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त की गई है, उनकी सूची बना कर जिला के वेबसाइट पर अपलोड करवाने का निदेश दिया गया था, लेकिन अभी तक सूची अपलोड नहीं की गई है। इस सप्ताह में सूची तैयार कर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।</p> <p>यदि अनुदान की राशि का वितरण शेष है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में संबंधित किसान के खाता में आर0टी0जी0एस0 करने का निदेश दिया गया।</p>	जिला कृषि पदाधिकारी

19.	पी0एम0ई0जी0पी0 की समीक्षा के कम में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बताया गया कि 60 लाभुकों का चयन कर उनका आवेदन बैंको में भेजा जा चुका है। उन्हें निदेश दिया गया कि संबंधित बैंकों एवं जिला अग्रणी प्रबंधक से समन्वय कर आवेदनों पर ऋण स्वीकृत/वितरित करवाना सुनिश्चित करें।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र
-----	---	---------------------------------


६०४
जिलाधिकारी,
दरभंगा

ज्ञाप संख्या.....11.3.6...../सी0, लहेरियासराय, दिनांक 29 मार्च, 2016.

प्रतिलिपि जिला स्तरीय सभी विभागीय/तकनीकी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


जिलाधिकारी,
दरभंगा।